न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 46/2018

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री बारूराम जाति नायक निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सायल

बनाम

1. मंगतुराम पुत्र श्री बारूराम जाति नायक निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

गैरसायल

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **प्रार्थी**
वकील श्री कालुराम शर्मा : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 12.11.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 261 के खसरा सं0 741 की 17 बिघा, खसरा सं0 758 की 12 बीघा 10 बिस्वा एवं रोही मौजा अजीतपुरा के खाता सं0 262 के खसरा सं0 699 की 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 700 की 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 717 की 7 बीघा, खसरा सं0 718 की 19 बिघा 17 बिस्वा कुल 43 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि में वादी के पिता बारूराम का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में भू–प्रबन्ध विभाग में सम्वत 2029 से 31 जमाबन्दी में दर्ज है।

वादी के पिता बारूराम को उपर वर्णित कृषि भूमि विरासतन अपने पिता राजु से प्राप्त हुई थी जिसका इन्द्राज भू–प्रबन्ध विभाग के खतौनी संख्या 262 सम्पत् 2038 पृष्ठ संख्या 95 पर दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबन्दी संलग्न है।

बारूराम की मृत्यु होने पर पक्षकारान दावा के मध्य विरासतन इन्तकाल हुआ उस समय प्रतिवादीया मनभरी ने अपना समस्त हक हिस्सा अपने पाचों भाईयों के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया परन्तु प्रतिवादी मंगतुराम ने हस्तगत वाद में वर्णित कुल 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी मंगतुराम के पक्ष में 1/5 हिस्सा याने 8 बिघा 7 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी मंगतुराम ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

छल कपट व बेईमानी पूर्वक अपने 1/5 हिस्सा से अधिक भूमि यानि 2 बीघा 19 बिस्वा अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि पक्षकारान दावा आज भी अपने अपने 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है।

वादी को अब कृषि कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर वादी ने हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकले मई 2018 में प्राप्त की तब वादी को प्रतिवादी मंगतुराम द्वारा छलकपट व बेईमानी पूर्वक अपने नाम अपने हिस्सा से अधिक कृषि भूमि दर्ज करवाने का ज्ञान हुआ। वादी ने अपने हिस्सा में से 0.240 है कृषि भूमि मई 2018 में प्रतिवादी मानसिंह को विक्रय कर दी है जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में इनकाल दर्ज हो चुका है।

प्रतिवादी मंगतुराम अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि अपने नाम दर्ज होने से उत्साहित होकर कुल भूमि के रहन बैय व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त गैरसायल ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि वादी ने खाता विभाजन आदेश दिनांक 20.12.2000 का तथ्य छुपाकर न्यायालय हाजा में उक्त दावा व दरख्वास्त पेश किया है, इस प्रकार सायल न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। सायल को आदेश दिनांक 20.12.2000 के खिलाफ माननीय जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर की अदालत में अपील करने का अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आदेश को छुपाकर माननीय न्यायालय में घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र पेश किया हुआ है तथा उक्त प्रार्थना पत्र भी तथ्य छुपाकर पेश किया हुआ है। वाद कारण किसी भी प्रकार से हासिल नहीं हुआ है इस प्रकार सायल ने बिना किसी वाद हेतु के उक्त दरख्वास्त पेश किया है जो इस आधार पर काबिले खारिज है। मिन गैरसायल को दिनांक 20.12.2000 के आदेश खाता विभाजन जो सायल की सहमती से तहसीलदार द्वारा फरमाया गया है से मिन गैरसायल को विभाजन में खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है मिन गैरसायल को खाता विभाजन से सहमती से प्राप्त हुई कृषि भूमि से सायल असहमत है और जिसके बाबत न्यायालय हाजा में किसी भी प्रकार से दावा पेष कर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त आदेश के खिलाफ सक्षम सिविल न्यायालय में वाद पत्र पेश कर उक्त सहमति के आदेश को खारिज करवाने हेतु चुनौती दी जा सकती है या माननीय जिला कलैक्टर या अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर की अदालत में उक्त आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है। इस प्रकार सायल को न्यायालय हाजा में उक्त वाद पत्र या दरख्वास्त पेश करने का किसी प्रकार से कोई वाद कारण हासिल प्राप्त नहीं है। बिना क्षेत्राधिकार और बिना वाद कारण पेश किया हुआ दावा व दरख्वास्त काबिले खारिजी है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि है। मंगतुराम को उसके हक हिस्सा से अधिक भूमि मिली है। वाद में पक्षकारों के मध्य हक हिस्सा का निर्धारण होना है तो विक्रय कर देगा तो अप्रार्थी को भूमि कहां से कैसे मिलेगी विक्रय से हक हिस्सा प्रभावित होगा। इस प्रकार अप्रार्थी को वाद भूमि रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने के लिए पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मद सं0 5 में कह रहे है कि मंगतूराम ने छल कपट से 2 बीघा 1/9 हिस्सा भूमि अधिक अपने नाम दर्ज करवा ली। विरासतन इंतकाल सभी के बहिस्सा हुई है। मनभरी द्वारा हकत्याग से भूमि पुन : बहिस्सा बराबर पांच भाईयों में दर्ज हो गई। रामकुमार ने 20.12.2002 को अपनी सहमति से तहसीलदार भादरा के पास खाता विभाजन करवा लिया जिसमें मंगतुराम को अतिरिक्त भूमि दी जिसमें स्वयं वादी की सहमति व हस्ताक्षर है। मंगतुराम को भूमि जरिये खाता विभाजन मिली है जो कि माननीय न्यायालय तहसीलदार के धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आदेश से मिली है। दावा में वाद कारण ही नहीं है। प्रार्थी को तहसीलदार भादरा के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करनी चाहिए थी।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम अजीतपुरा के खाता सं0 441/420 में दर्ज कुल 2.8070 है0 भूमि में अप्रार्थी को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वे कृषि भूमि के किसी भू–भाग को रहन, बेय व मुन्तकिल नहीं करे एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। सायल ने अपनी बहस में वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना व गैरसायल ने अपनी बहस में न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा सहमति से दिनांक 20.12.2002 को खाता विभाजन करवाया जाकर मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी का खाता व लगान अलग अलग इन्द्राज किया हुआ है जिसमें अप्रार्थी का खाता सं0 441/420 उनके नाम एकल है। यदि प्रार्थी को ऐसा लगता है कि खाता विभाजन में अप्रार्थी को अधिक भूमि प्राप्त हुई है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैण्ड नहीं आया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया गया है। प्रार्थी को कोई असुविधा एवं अपूर्णिय क्षति होना भी प्रतीत नहीं होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ